कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ–837/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/20 भिलाई, दिनांक 07.01.25

//कार्यवाही विवरण//

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ की संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 19.12.2024 को सभागार में 10:30 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

1.	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	आयुक्त एवं अध्यक्ष
2.	श्री बसंत देवांगन	अधीक्षक
3.	श्री शशिभूषण मोहंती संघ के अन्य दस सदस्य	अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ
4.	श्री संजय शर्मा संघ के अन्य दस सदस्य	संयोजक, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ

संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 19.12.2024 में उल्लेखित मांग बिन्दुओं पर संघो के साथ चर्चा की गई। चर्चानुसार निम्नलिखित समस्याओं पर गहन विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया/कार्यवाही की गयी है :–

1. पदोन्नति के चेनल नहीं पदों पर चेनल निर्धारण करने बाबत जैसे 1. प्रोग्रामर 2. तकनीकी सहायक, 3. स्टेनो टायपिस्ट, 4. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5. कार्य सहायक ग्रेड–2, 6. पम्प ऑपरेटर 7. समयपाल 8. ड्रायवर 9. सर्वेयर, एवं अन्य पदों पर जिसका चेनल नहीं है निर्धारण किया जावें। – उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 29 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अतिरिक्त पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा चर्चानुसार पम्प सहायक के पदोन्नति मार्ग प्रशस्त करने पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में संशोधन कर पुनः प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

2. सेवानिवृत्तों की देनदारियां–अर्जित अवकाश नगदीकरण, उपादान की राशि। लगभग 10 करोड़। – नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त/मृतक अधिकारी/कर्मचारियों के दैनिकवृत्ति अवधि के उपादान के राशि रूपये 108536008.00 (अक्षरी–दस करोड़ पच्चयासी लाख छत्तीस हजार आठ रूपये) तथा तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण एवं एरियर्स के लंबित राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरी–पॉच करोड़ रूपये) निगम कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नही होने के कारण भुगतान हेतु लंबित है। उपरोक्तानुसार लंबित देयताओं के भुगतान हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 18.11.2024 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 18.11.2024 के माध्यम से सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को संचित निधि से भुगतान किये जाने की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्रों के संदर्भ में आज पर्यन्त तक अनुमति अपेक्षित है।

(कार्यवाही पूर्ण)

3. नियमित कर्मचारियों की देनदारियां जैसे वेतन इन्क्रीमेंट की एरियर्स, समयमान वेतनमान की एरियर्स, चिकित्सा भत्ता की एरियर्स, वेतनवृद्धि की एरियर्स एवं अन्य। – नियमानुसार अधिकारी/कर्मचारियों को माह जनवरी एवं जुलाई में वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है तथा एरियर्स देय होने पर भुगतान किया जाता है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

क्रमश.......

Scanned with CamScanner

10. नयी कार्यालयी

4. विभागीय पदोन्नति– जिन पदों पर पदोन्नति हुई है उनके रिक्त स्थान पर विशेष कर चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची पदोन्नति हेतु लंबित है जिसका शीघ्र निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। – उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 29 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अतिरिक्त पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

5. दैनिक वृत्ति, कार्यभारित एवं आकस्मिक मद कर्मचारियों का नियमितीकरण – दैनिक वृत्ति 5 कर्मचारियों का कार्यभारित एवं आकस्मिक मद में स्थायीकरण करके शासन को पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित की जावे। (नियमितीकरण में बाधा हो तो) – शासन से दैनिकवृत्त कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में प्राप्त निर्देश के अनुसार वर्ष 1997 तक के दैनिकवृत्त पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख है। वर्तमान में शेष 5 दैनिकवृत्त कर्मचारी वर्ष 1997 के बाद नियुक्त होने के कारण नियमितीकरण हेतु प्रतीक्षारत् है। शासन आदेश प्राप्त होने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्तानुसार शेष 05 बचे हुये दैनिकवृत्ति कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

6. अनुकम्पा नियुक्ति करने संबंधी – वर्तमान में रिक्त पदों को शिथिल करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जावे एवं नवीन पद हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जावे। – नगर पालिक निगम, भिलाई में स्वीकृत पदसंरचना अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10% सीमा बंधन शिथिल किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु संबंधित नस्ती में कार्यवाही प्रक्रियाधीन। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नवीन पद स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 29 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। पद स्वीकृत होने पर संचालनालय के निर्देश उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(कार्यवाही पूर्ण)

7. एल.एस.जी.डी. डिप्लोमाधारी पम्प अटेडेन्ट /पम्प सहायक की अन्य तृतीय कर्मचारियों की भांति दो वेतन वृद्धि का लाभ देने – बचे हुए सभी कर्मचारियों को लाभ दिया जावे। – छ.ग. शासन को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित पत्र की प्रत्याशा में आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण अनुसार पत्र क्रमांक 433 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। शासन से स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

8. कर्मचारियों को आवास हेतु भूमि आबंटन – शासन की रिक्त नजूल भूमि/निगम रिक्त भूमि कर्मचारियों को आबंटन करने हेतु कार्यवाही की जावे। – वर्तमान में नगर पालिक निगम, भिलाई को भवन/भूखण्ड विक्रय करने का अधिकार नही है। पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण अनुसार पत्र क्रमांक 433 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। संघों से चर्चानुसार हाऊसिंग सोसायटी की समिति गठित कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

9. स्टॉफ क्वाटर–इस संबंध में कार्यवाही शीघ्र किया जावे। – आवासगृहों का आबंटन एवं रिक्त के संबंध में अद्यतन स्थिति का सत्यापन किये जाने अधिकारियों को दायित्व सौंपा जाना तथा आवासगृहों की मरम्मत करने डी.पी.आर. तैयार किये जाने आदेश/निर्देश जारी किया जाये।

(कार्यवाही पूर्ण)

क्रमश.........

Scanned with CamScanner

10. नयी पद संरचना— पुनः शासन को स्मरण पत्र प्रेषित किया जायें। — उपरोक्त के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 29 दिनांक 16.12.2024 के द्वारा अतिरिक्त पद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

11. शासन को प्रेषित समस्त कर्मचारी समस्या से संबंधित सभी पत्रों की प्रतिलिपि युनियन को प्रदान किया जावे। — नगर पालिक निगम, भिलाई के अधिकारी/कर्मचारियों के हित पर शासन के आदेश /निर्देश के संबंध में पत्र व्यवहार किये जाने पर सूचित किया जाता है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

12. अनुकम्पा नियुक्ति में पदस्थ कर्मचारियों के योग्यता अनुसार पद प्रदान नहीं किया गया है उसकी जाँच कर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पद परिवर्तन किया जाये। — शासन द्वारा जारी अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश दिनांक 14.06.2013 के निर्देश कण्डिका 20 (1) अनुसार आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात् उसके द्वारा किसी अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने एवं पद परिवर्तन की मांग स्वीकार नही की जा सकती। उक्त नियमानुसार कार्यवाही किया जायें।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्रं./एफ–837/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/21
भिलाई,दिनांक 07.01.25

प्रतिलिपि :—

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/राजस्व अधिकारी/अधीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. सहायक अधीक्षक, भविष्य निधि नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner